विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-10.08.2016 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में विकास आयुक्त, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. वित्त विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा बैठक में यह सुझाव दिया गया कि महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गये मामलों के संबंध में विभागों को पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि संबंधित मामलों में एक से अधिक विभाग प्रतिवादी होते है, जबकि मुख्य प्रतिवादी कोई एक विभाग ही होता है एवं अन्य विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी ही होते है। ऐसी स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा दायर किये गये प्रतिशपथ-पत्रों में भिन्नता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत: इस स्थिति से बचने के लिए विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से यह अनुरोध किया जाय कि इस प्रकार के मामलों में मुख्य प्रतिवादी (विभाग) को ही प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु नामित कर दिया जाय। इस संबंध में सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के साथ बैठक कर इस संबंध में कार्रवाई करने का प्रयास किया जायेगा।

2. बैठक में सचिव, विधि विभाग के द्वारा इस बात पर चर्चा किया गया कि जयघोष राशि से संबंधित मामलों में संबंधित विभागों के द्वारा समुचित ध्यान नही दिया जाता है जिस कारण राज्य सरकार को अनावश्यक राशि (सूद सहित) का भुगतान संबंधित पक्ष को करना पड़ता है। इस स्थिति से बचने के लिए सचिव, विधि विभाग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सभी विभाग जयघोष राशि से संबंधित मामलों की प्रत्येक माह विभागीय स्तर पर समीक्षा करें। इस संबंध में सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देश विकास आयुक्त, बिहार के द्वारा दिया गया।

3. बैठक में विकास आयुक्त, बिहार के द्वारा लंबित CWJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, जल संसाधन विभाग एवं सहकारिता विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। इसी क्रम में MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में **जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सहकारिता विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

4. CWJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग** शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **पंचायती राज विभाग, लोक स्वस्थ्य अभियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग** है। विकास आयुक्त, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

5. CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1502 मामले), स्वास्थ्य विभाग (713 मामले), समाज कल्याण विभाग (544), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (400 मामले) एवं पंचायती राज विभाग** (208) में लम्बित हैं। इसी प्रकार MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (104 मामले), स्वास्थ्य विभाग (54 मामले), परिवहन विभाग (27 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग (19 मामले) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग (18 मामले)** में लम्बित हैं। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु विकास आयुक्त, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/5006**जे0** पटना, दिनांक-16-08-16

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.8.2016

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।